

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-2, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

संख्या-डीजी-चार-101(15)/2019(पदोन्नति)

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 02

2019

## आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु मा0 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबंधित प्रकरणों पर उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 26-07-2019 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस)सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन/इकाई में तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित/समायोजित करते हुये उक्त कर्मियों को नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	पीएनओन0	नाम	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित जोन/इकाई का नाम	चयन वर्ष
1	872490653	स्वत्रंत कुमार	लाल राम	20.02.1964	इटावा	अलीगढ़	सीबीसीआईडी	2017
2	012290127	बिजेन्द्र सिंह रावत	ज्ञान सिंह रावत	20.07.1974	पौडी गढवाल	सहारनपुर	मेरठ	2017
3	072700059	पवन कुमार सोनकर	भाईलाल सोनकर	28.12.1975	प्रयागराज	अम्बेडकरनगर	लखनऊ	2017 (औपबन्धिक)
4	072760084	सलिल स्वरूप आदर्श	मखन लाल सिंह	10.07.1978	प्रयागराज	वाराणसी	वाराणसी	2017
5	072760275	कमलेश कुमार	राम सेवक	10.02.1972	प्रतापगढ़	चन्दौली	वाराणसी	2017
6	842500427	रमेश चन्द्र यादव	महादेव यादव	30.04.1965	वाराणसी	मऊ/बलिया	वाराणसी	2017
7	902690154	मनोज कुमार सोनकर	पगल	03.06.1969	मिर्जापुर	रायबरेली	लखनऊ	2017

2- पदोन्नति पाये उपनिरीक्षकगण अपने नवनियुक्त स्थान पर निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त निरीक्षकगण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनके समायोजन में कोई नीतिगत बाधा हो तो उससे इस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-5-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।


- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जहाँ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप(क)

  
21/01/19

डा0राकेश शंकर

पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक/स्थापना)

उ0प्र0, लखनऊ।

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक आगरा/मेरठ/लखनऊ/वाराणसी।
- 3- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़/सहारनपुर/अयोध्या/वाराणसी/वाराणसी/आजमगढ़/लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़/सहारनपुर/अम्बेडकरनगर/वाराणसी/चन्दौली/मऊ/बलिया एवं रायबरेली।

---

**प्रतिलिपि-**अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

## स्वघोषणा-पत्र

मैं,----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----  
पुत्र----- निवासी-----  
थाना----- जनपद----- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)-----  
----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

“मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- धारा-----थाना ----- जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

### प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी  
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।